

पैराडाइज प्रिंटर और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य
(जी. सी. मित्तल, जे.)

बी. एस. दिल्ली और जी. सी. मित्तल, जे जे के समक्ष

पैराडाइज प्रिंटर और अन्य,- याचिकाकर्ता।

बनाम

संघ क्षेत्र, चंडीगढ़ और अन्य,- प्रतिवादी।

1979 का सिविल लेखन सं. **3512**

25 अप्रैल, **1980**

भारत का संविधान **1950**-अनुच्छेद **14**-प्रेस में विज्ञापित भूखंडों को आवंटित करने के लिए प्रशासन का प्रस्ताव-आवेदन आमंत्रित-आवश्यकता के अनुसार खरीद मूल्य का आंशिक भुगतान जमा करने वाले आवेदक-उपलब्ध भूखंडों की संख्या से अधिक आवेदकों की संख्या-आवंटन के लिए बहुत कुछ निकाला गया लेकिन कोई आवंटन नहीं किया गया-आवंटन के लिए छोटे भूखंडों को बनाने के लिए आवंटन की नीति में संशोधन-नए भूखंडों की कीमत .

(1) 1964 वर्तमान विधि पत्रिका (पी. बी.)**513**.

(2) 1973 किराया नियंत्रण पत्रिका **36**.

(3) ए. आई. आर. 1978 एस. सी. **1601**.

भूखंडों में वृद्धि-लॉट का ड्रॉ-क्या एक बाध्यकारी अनुबंध बनाया गया-सरकार-चाहे लॉट के ड्रॉ के बाद आवंटन की नीति को संशोधित करने से रोक दिया गया हो-मूल्य में वृद्धि-चाहे मनमाना हो या अप्रवर्तनीय।

माना जाता है कि जहां आवंटन का कोई पत्र जारी नहीं किया जाता है, केवल लॉट का ड्रॉ कोई बाध्यकारी अनुबंध नहीं बनाता है क्योंकि यह किसी भी वैधानिक प्रावधान के अनुसरण में नहीं है।

(पैरा 7)।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पहले की नीति को पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं करने में सरकार की कार्रवाई मनमानी नहीं है क्योंकि पहले आवेदकों को भूखंड आवंटित किए जा सकते थे, नीति

पैराडाइज़ प्रिंटर्स और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य
(जी. सी. मितल, जे.)

को संशोधित करने के लिए उचित आधार था क्योंकि उस समय भूखंड चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक थी। संशोधित नीति के तहत बड़ी संख्या में भूखंड बनाए गए हैं, हालांकि वे छोटे आकार के हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवंटन के मामले में बड़ी संख्या में लोगों को समायोजित किया जा सकता है।

(पैरा 11)।

माना गया कि पहले की योजना के तहत आवेदकों को उस समय प्रचलित कीमत पर भूखंड आवंटित किए जाते, लेकिन जब सरकार ने लंबी अवधि के बाद नीति को संशोधित करने के बारे में सोचा और छोटे भूखंड बनाए गए, तो आवेदकों को बढ़ी हुई कीमत का भुगतान करना आवश्यक था। बढ़ी हुई कीमत का दावा करने का एकमात्र कारण यह था कि भूमि की कीमतें बढ़ गई थीं। यदि सरकार को योजना को संशोधित करने में वर्षों लग गए, तो इसके लिए आवेदकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था और न ही सरकार को अपने स्वयं के कमियों का लाभ उठाने की अनुमति देना उचित होगा। यदि प्रशासन ने तत्परता से काम किया होता और कम समय के भीतर नीति को संशोधित किया होता, तो आवेदकों को पहले से मौजूद कीमत पर जमीन मिल जाती। इसलिए, आवेदकों से अधिक कीमत की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है और यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमानी है।

(पैरा 12)।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि:

- (a) प्रतिवादी सं. 3 दिनांक 24 सितंबर, 1979 के ज्ञापन को रद्द करते हुए सरशियोरेराई की प्रकृति का एक रिट, संलग्नक पी-3 जारी किया जाए।
- (b) कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझे, जारी किया जाए।
- (c) आदेश की प्रकृति का एक रिट जिसमें प्रतिवादी को उन भूखंडों का कब्जा देने का निर्देश दिया गया है जो वर्ष 1977 में याचिकाकर्ताओं को पहले ही आवंटित किए जा चुके थे। 15 रूपए प्रति वर्ग गज, उन्होंने जारी किया;
- (d) प्रस्ताव की सूचना पहले से जारी करने की शर्त को हटा दिया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास ऐसा करने के लिए कोई समय नहीं बचा है।
- (e) याचिका का खर्च याचिकाकर्ताओं को दिया जाए।

पैराडाइज़ प्रिंटर्स और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य
(जी. सी. मित्तल, जे.)

यह भी प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान 9 अक्टूबर, 1979 के लिए निर्धारित भूखंडों के नए आवंटन पर रोक लगाई जाए, यदि उस पर रोक नहीं लगाई जाती है, याचिकाकर्ताओं को अपूरणीय नुकसान होगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील दलीप सिंह, बार-एट-लॉ और आर. एस. मोंगिया, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से आनंद सरूप और एम. एल. बंसल, अधिवक्ता।

फैसला

गोकल चंद मित्तल, जे.

(1) प्रिंटिंग प्रेस एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ ने प्रिंटिंग प्रेस-मालिकों को औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों के आवंटन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन का रुख किया, जिस पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वर्ष 1968 में ऐसे उपयुक्त उद्योगों को औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिनकी अनुशंसा जिला मुद्रण अधिकारी ने की थी। उपरोक्त के जवाब में, कुछ रिट-याचिकाकर्ताओं ने, प्रिंटिंग प्रेस-मालिकों के रूप में, उनमें से प्रत्येक द्वारा आवश्यक आकार के औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को आवेदन दिए।

(2) जबकि मामला अभी भी विचाराधीन था, वर्ष 1975 में, डेली ट्रिब्यून में एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर दिया था, उन्हें नए सिरे से आवेदन करना चाहिए, लेकिन यदि वे पहले ही पिछले आवेदनों के तहत जमा कर चुके थे तो उन्हें बकाया राशि भेजने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त प्रेस-नोट के अनुसरण में, हमारे समक्ष सभी 21 याचिकाकर्ताओं ने सभी मामलों में पूर्ण रूप से निर्धारित प्रपत्रों में भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन किया। प्रेस-नोट के अनुसार, भूखंडों को 15।रुपये प्रति वर्ग गज की दर से आवंटित किया जाना था।

(3) चंडीगढ़ प्रशासन ने औद्योगिक भूखंड बनाए, जिनमें से बड़े आकार के 43 भूखंड मुद्रण प्रेस के लिए और शेष अन्य उद्देश्यों, अर्थात् आइसक्रीम उद्योग, मिट्टी का तेल, ढाबा और अन्य समान उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए थे। चंडीगढ़ प्रशासन ने सितंबर, 1977 में हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं सहित सभी आवेदकों को एक ज्ञापन जारी किया, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के साथ संलग्नक पी. 1 के रूप में संलग्न की गई है। इस ज्ञापन के तहत, याचिकाकर्ताओं को भूखंड

पैराडाइज़ प्रिंटर्स और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य
(जी. सी. मितल, जे.)

की कुल कीमत का 25 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया था ताकि प्रशासन आवंटन स्थलों को अंतिम रूप दे सके और कुछ हलफनामों की भी मांग की .याचिकाकर्ताओं ने आवश्यक राशि जमा की और आवश्यक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए। विभिन्न श्रेणियों के औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को प्राप्त आवेदन औद्योगिक क्षेत्र में चंडीगढ़ प्रशासन के पास उपलब्ध भूखंडों से अधिक थे। इसलिए, अक्टूबर, 1977 के महीने में लॉट निकाले गए और लॉट के ड्रॉ में, सभी 21 याचिकाकर्ता सफल रहे और उनमें से प्रत्येक के लिए प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए प्लॉट निर्धारित किए गए। हालांकि, उन्हें आवंटन का कोई पत्र जारी नहीं किया गया था और न ही याचिकाकर्ताओं को शेष 75 प्रतिशत जमा करने के लिए कहा गया था।

(4) अन्य श्रेणियों के सम्बन्ध में भी लॉट्स निकाले गए थे और उन्हें आवंटन पत्र जारी किए गए थे और भूखंडों का कब्जा दिया गया था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की श्रेणी के संबंध में, मामले को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पुनःविचार करने के लिए लंबित रखा गया था, इस तथ्य को देखते हुए कि बड़ी संख्या में अन्य व्यक्तियों ने भी प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन किया था और चंडीगढ़ प्रशासन ने पाया था कि चंडीगढ़ शहर के लिए मुद्रण आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, अधिक भूखंड बनाने की आवश्यकता थी, ताकि बड़ी संख्या में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए जा सकें। चंडीगढ़ प्रशासन ने मामले की फिर से जांच शुरू की और अंततः 1979 में एक निर्णय पर पहुंचा कि प्रिंटिंग प्रेस के संबंध में, बड़े भूखंड बनाने का पहले का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं था और इसके बजाय, उसी क्षेत्र के भीतर छोटे भूखंड बनाए गए जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए निर्धारित किए गए थे ताकि बड़ी संख्या में प्रेस मालिक अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए भूखंड प्राप्त कर सकें। संशोधित नीति बनाए जाने के बाद, चंडीगढ़ प्रशासन ने याचिकाकर्ताओं सहित प्रेस भूखंडों के लिए आवेदकों को फिर से नए पत्र जारी किए और ऐसे पत्र की एक प्रति 24 सितंबर, 1979 की रिट याचिका के साथ संलग्नक पी. 3 के रूप में संलग्न की गई है। इस पत्र के माध्यम से, चंडीगढ़ प्रशासन ने आवेदकों को अपने फैसले के बारे में सूचित किया कि भूखंडों के आवंटन के लिए उनके आवेदनों पर विचार करने के लिए उन्हें 35 प्रति वर्ग गज की दर से 10 मरला प्लॉट देने के लिए ड्रॉ का आयोजन 9 अक्टूबर, 1979 को पंचायत भवन में किया जाना था। संलग्नक पी. 3 जैसे पत्रों के अनुसरण में, सभी याचिकाकर्ताओं ने 9 अक्टूबर, 1979 को लॉट के ड्रॉ में भाग लिया और प्रक्रिया के बाद हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं सहित 108 में से 92 आवेदकों को छोटे आकार के प्लॉट आवंटित करने की मांग की गई।

पैराडाइज़ प्रिंटर्स और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य
(जी. सी. मितल, जे.)

(5) हालाँकि, लॉट ड्रॉ से पहले, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका दायर की, जो 9 अक्टूबर, 1979 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए थी, जिसमें निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया था:—

“लॉट का ड्रॉ जारी रह सकता है लेकिन इसे अंतरिम रूप से अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।”

याचिकाकर्ताओं ने 35 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से 25 प्रतिशत की राशि जमा की और रिट याचिका में अपने अधिकारों को बिना जांचे परखे लॉट के ड्रॉ में भी शामिल हो गए।

(6) रिट याचिका में विभिन्न बिंदु उठाए गए हैं, लेकिन जिन पर हमारे समक्ष आग्रह किया गया है और जिनके निर्धारण की आवश्यकता है, वे निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:—

(1) 9 अक्टूबर, 1977 को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में लॉट का ड्रॉ किया गया था इसलिए, एक बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में आया, इसके आधार पर याचिकाकर्ता भूखंडों के हस्तांतरण का दावा करने के हकदार थे।

(2) चंडीगढ़ प्रशासन को न्यायसंगत रोक के नियम पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 9 अक्टूबर, 1977 को किए गए लॉट के ड्रॉ पर वापस जाने से रोक दिया गया था, और

(3) चंडीगढ़ प्रशासन की 1975 की नीति का पालन न करने की कार्रवाई, जिसके आधार पर डेली ट्रिब्यून में एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था और कीमत का 25 प्रतिशत जमा किया था, मनमाना है, जिसका कोई उचित आधार या साठगांठ नहीं है क्योंकि नई नीति के तहत भूखंडों का आकार कम कर दिया गया है और 15 रुपए प्रति वर्ग गज के स्थान पर 35 प्रति वर्ग गज की मांग की जा रही है।

इसके जवाब में, चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी बुनियादी तथ्यों को स्वीकार किया है और इस बात पर प्रकाश डाला है कि चूंकि प्रिंटिंग प्रेस के लिए भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदक उपलब्ध भूखंडों की संख्या की तुलना में बहुत अधिक थे, इसलिए प्रशासन में प्रिंटिंग प्रेस के अन्य आवेदकों को भूखंडों के आवंटन के बारे में फिर से विचार किया गया और एक संशोधित नीति तैयार करने की मांग की गई और संशोधित नीति में, प्रशासन को छोटे भूखंड बनाने थे और इस तरह, याचिकाकर्ता यह नहीं कह सकते कि उन्हें वर्ष 1977 में भूखंड आवंटित किए गए थे और किसी भी मामले में, फिर से बात करना उचित और उचित था और इस तरह से रोक का सवाल नहीं उठता है। जहां तक कीमत का संबंध है, एकमात्र स्टैंड यह है कि वर्ष 1977 में कीमत 15 रुपये प्रति वर्ग गज थी, लेकिन कीमत दो साल के अंतराल में बढ़ गई थी और इसलिए, चंडीगढ़ प्रशासन ने 35 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से कीमत की मांग करना उचित ठहराया। यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि चंडीगढ़

पैराडाइज़ प्रिंटर्स और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य
(जी. सी. मितल, जे.)

प्रशासन ने 286 भूखंड बनाए हैं जिन्हें 35 प्रति वर्ग गज की संशोधित दर पर आवंटित किया गया है। और 21 रिट-याचिकाकर्ताओं सहित आवेदकों ने अतिरिक्त बकाया राशि भी जमा कर दी है।

(7) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए पहले मुद्दे में कोई श्रेष्ठता नहीं है। केवल लॉट के ड्रॉ ने याचिकाकर्ताओं में कोई अधिकार प्रदान नहीं किया क्योंकि यह किसी भी वैधानिक प्रावधान के अनुसरण में नहीं किया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को कोई आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया था और न ही उन्हें शेष मूल्य का भुगतान करने के लिए कहा गया था। इसलिए, मामला अभी भी विचाराधीन था। "मदन लाल और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य" (1) मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले से हमारे इस दृष्टिकोण का समर्थन मिलता है। तदनुसार, हम पहले विवाद को खारिज करते हैं।

(8) जहाँ तक दूसरे बिंदु का संबंध है, हम उसमें भी कोई श्रेष्ठता नहीं पाते हैं। इस मामले के तथ्यों पर, न्यायसंगत रोक का नियम उपरोक्त निष्कर्ष के अलावा लागू नहीं होता है, क्योंकि यह केवल इस तथ्य पर आधारित था कि याचिकाकर्ताओं ने उन भूखंडों में बड़ी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए भारी मशीनरी के लिए आदेश दिए थे, जिनके बारे में अक्टूबर, 1977 में ड्रॉ निकाले गए थे, और उन पर कब्जा करने के लिए भारी धन को अवरुद्ध कर दिया गया था। भूखंड डिलीवर नहीं किए गए थे। रिट याचिका के पैरा 11 में किए गए ये कथन काफी अस्पष्ट हैं क्योंकि यह नहीं दिखाया गया था कि क्या वास्तव में याचिकाकर्ताओं ने मशीनरी की खरीद के लिए कोई राशि निवेश की थी और उन्होंने ऐसी मशीनरी खरीदी थी जिसे छोटे भूखंडों में समायोजित नहीं किया जा सकता था, जिन्हें अब उन्हें आवंटित किया जाना है। नियम के अनुसार जिस क्षण किसी पक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है और दूसरा पक्ष उस प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करता है और अपने नुकसान के लिए अपनी स्थिति बदलता है, पहले पक्ष को इस तरह से किए गए प्रतिनिधित्व पर वापस जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, याचिकाकर्ताओं ने अपनी स्थिति नहीं बदली और इसलिए, न्यायसंगत बहिष्कार के नियम को उनके द्वारा सहायता में नहीं लाया जा सकता है।

(1) आई.एल.आर. 1980 (1) (पीबी. एवं हैरी.) 203.

(9) तर्क के तीसरे बिंदु के दो पहलू हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़े भूखंड बनाने और 15 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मूल्य वसूलने का निर्णय लिया था और याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि प्रशासनिक निर्णयों को भी अदालत द्वारा प्रभावी बनाया जाना चाहिए जैसा

कि सर्वोच्च न्यायालय ने "रमण दयालम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य" (2) में कहा था, और चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बनाई गई नई नीति पूरी तरह से मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि चंडीगढ़ प्रशासन अपने ज्ञापन, संलग्नक पी-1 और 9 अक्टूबर, 1977 को हुए लॉट के ड्रों से बाध्य है और इसे लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में निर्भरता को उपरोक्त मामले से निम्नलिखित टिप्पणियों पर रखा गया है:—

“अब, स्पष्ट रूप से जहां एक निगम, सरकार की एक एजेंसी या साधन है, अपनी शक्ति या विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, सरकार समान संवैधानिक या सार्वजनिक कानून सीमाओं के अधीन होगी। सरकार द्वारा मनमानी कार्रवाई को रोकने वाला नियम, जिसकी हमने ऊपर चर्चा की है, उस पर समान रूप से लागू होना चाहिए जहां ऐसा निगम जनता के साथ काम कर रहा है, चाहे वह नौकरी देने के माध्यम से हो या अनुबंध में प्रवेश करने के माध्यम से या अन्यथा, यह मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है और किसी व्यक्ति के साथ संबंध में प्रवेश नहीं कर सकता जिसे वह अपनी इच्छा से पसंद करता है, लेकिन उसका कार्य उसी सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए जो तर्क और प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरता है।

(2) ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 1628.

यह नियम सीधे अनुच्छेद 14 में सन्निहित समानता के सिद्धांत से भी आता है। "ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य" (3) और "मेनका गांधी बनाम भारत संघ" (4) मामले में इस न्यायालय के फैसलों के परिणामस्वरूप अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करता है और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करता है। यह आवश्यक है कि राज्य की कार्रवाई मनमाना नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ तर्कसंगत और प्रासंगिक सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए जो गैर-भेदभावपूर्ण है; इसे किसी भी बाहरी या अप्रासंगिक विचार द्वारा निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समानता से इनकार होगा। तर्कसंगतता और चेतना का सिद्धांत जो कानूनी रूप से और साथ ही दार्शनिक रूप से अनुच्छेद 14 द्वारा प्रस्तुत समानता या गैर-मनमानी का एक आवश्यक तत्व है और यह प्रत्येक राज्य कार्यवाही की विशेषता होनी चाहिए, चाहे वह कानून के तहत हो या कानून बनाए बिना कार्यवाही शक्ति का प्रयोग हो। इसलिए, राज्य किसी तीसरे पक्ष के साथ संविदात्मक या अन्यथा संबंध बनाने में

पैराडाइज़ प्रिंटर्स और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य
(जी. सी. मितल, जे.)

मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी कार्यवाही किसी मानक या मानदंड के अनुरूप होनी चाहिए जो तर्कसंगत और गैर-भेदभावपूर्ण है। इस सिद्धांत को रे, सी. जे. की अध्यक्षता में इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा "एरसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम.पश्चिम बंगाल राज्य" (ऊपर) द्वारा मान्यता दी गई और लागू किया गया।

(10) जवाब में, चंडीगढ़ प्रशासन के वकील श्री आनंद स्वरूप ने भी सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश पर भरोसा किया और आग्रह किया कि प्रशासन की कार्रवाई उचित थी और न्याय को बढ़ावा दिया गया क्योंकि अधिक पुनर्वास के लिए 42 के बजाय 92 भूखंडों का निर्माण किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस मालिक और इस प्रकार संशोधित नीति मनमानी नहीं थी और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। कीमत के संबंध में, यह आग्रह किया जाता है कि 1979 तक कीमतें बढ़ गई थीं और इसलिए, याचिकाकर्ताओं को वर्ष में निर्धारित 15 रुपये प्रति वर्ग गज के बजाय 35 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से कीमत का भुगतान करना पड़ा। जैसा कि वर्ष 1977 में तय किया गया था।

(3) (1974) 2 एस.सी.आर. 348 (ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 555)।

(4) (1978) 1 एस.सी.सी. 248 (1978 एस.सी. 597)।

(11) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि पिछली नीति को पूर्ण रूप से लागू न करने की चंडीगढ़ प्रशासन की कार्रवाई मनमानी नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को भूखंड आवंटित करने से पहले इसे संशोधित करने का उचित आधार था। नीति जोकि उस समय भी प्लॉट चाहने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की संख्या अधिक थी। संशोधित नीति के तहत इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के लिए 42 भूखंडों के बजाय 92 भूखंड छोटे आकार के होते हुए भी काट दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले लोग अपना व्यवसाय चंडीगढ़ शहर की जरूरतों को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में कर सकेंगे। इस हद तक नीति को संशोधित करने का एक औचित्य है और यह सुप्रीम कोर्ट के रमना दयाराम शेटी के मामले (ऊपर) के आदेश से पूरी तरह से बचा हुआ है। इसलिए, जहां तक प्रिंटिंग प्रेस व्यवसाय चलाने के लिए छोटे आकार के अधिक भूखंड तैयार करने का संबंध है। हम नई नीति को बरकरार रखते हैं।'

(12) यह हमें तीसरे बिंदु के दूसरे पहलु पर लाता है। जहां तक याचिकाकर्ताओं को छोटे भूखंडों के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत का संबंध है, दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया गया मामला है कि पिछली योजना के तहत अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को 15 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से बड़े भूखंड आवंटित किए गए थे और वही प्रस्ताव था याचिकाकर्ताओं से 15 रुपये प्रति

पैराडाइज़ प्रिंटर्स और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य
(जी. सी. मितल, जे.)

वर्ग गज की दर से 25 प्रतिशत की मांग की गई, जिसका याचिकाकर्ताओं ने विधिवत पालन किया। जब चंडीगढ़ प्रशासन ने नीति को संशोधित करने के बारे में सोचा, तो 25 प्रतिशत राशि अभी भी उनके पास रही और याचिकाकर्ता को वापस नहीं की गई। यहां तक कि चंडीगढ़ प्रशासन का रुख यह है कि याचिकाकर्ताओं को वर्ष 1975 में किए गए उनके आवेदनों के आधार पर संशोधित नीति के तहत प्लॉट दिए गए हैं और उन्हें तय की गई बढ़ी हुई कीमत पर 25 प्रतिशत के अंतर की भरपाई करने के लिए कहा गया है। बढ़ी हुई कीमत का दावा करने का एकमात्र कारण यह बताया गया है कि जब 1979 में पेशकश की गई थी, तो कीमतें बढ़ गई थीं। अगर चंडीगढ़ प्रशासन को योजना बनाने में दो साल का समय लगा, इसके लिए याचिकाकर्ताओं को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। न ही चंडीगढ़ प्रशासन को अपने स्वयं के लाभ के लिए ढील देने की अनुमति देना उचित होगा। यदि प्रशासन ने शीघ्रता से कार्रवाई की होती और एक या दो महीने के भीतर नीति को संशोधित किया होता, तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को 15 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से भुगतान करने के लिए कहा गया होता। इसलिए, याचिकाकर्ताओं से अधिक कीमत की मांग करने का कोई औचित्य नहीं है और रमना दयाराम शेटी के मामले (ऊपर) से उद्धृत टिप्पणियों के मद्देनजर, यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमानी है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं से 35 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से कीमत मांगने की कार्रवाई उन लोगों के साथ भेदभावपूर्ण होगी, जिन्होंने 1975 की योजना के तहत याचिकाकर्ताओं के साथ आवेदन किया था और जिन्हें अक्टूबर 1977 में निकाले गए लॉट के आधार पर भूखंड आवंटित किए गए थे। जहां तक कीमत का सवाल है, याचिकाकर्ता और वे व्यक्ति एक वर्ग का गठन करते हैं और एक ही वर्ग के भीतर भेदभाव की अनुमति नहीं है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अन्य व्यक्ति, जिन्हें अब नई नीति के तहत भूखंडों की पेशकश की जाती है, वे याचिकाकर्ताओं जैसे एक अलग वर्ग का गठन करेंगे और इसलिए, उन व्यक्तियों से 35 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से कीमत की मांग की जाएगी। याचिकाकर्ताओं से 35 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से शुल्क लेना पूरी तरह से अनुचित है यहां तक कि मदन लाल के मामले (ऊपर) में भी छोटे भूखंडों की पेशकश समान दर पर की गई थी।

(13) चंडीगढ़ प्रशासन ने 280 औद्योगिक भूखंडों का निर्माण किया है। जबकि यह दूसरों से 35 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से कीमत वसूल सकता है, लेकिन जहां तक 21 रिट-याचिकाकर्ताओं का संबंध है, यह ऐसा नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ताओं से, चंडीगढ़ प्रशासन नए आवंटित भूखंडों की कीमत केवल 15 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से वसूलने का हकदार होगा, जिस कीमत पर मूल प्रस्ताव- याचिकाकर्ताओं को दिया गया था, - संलग्नक पी-1 के अनुसार .

पैराडाइज़ प्रिंटर्स और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य
(जी. सी. मितल, जे.)

(14) चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने अंततः तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं और अन्य सभी, जिनके पक्ष में 1977 में लॉटरी निकाली गई थी, ने 9 अक्टूबर, 1979 को निकाली गई लॉटरी में फिर से भाग लिया और उसी के अनुसरण में, अतिरिक्त कीमत का भुगतान भी किया। . यह कहना पर्याप्त है कि ड्रॉ से पहले, छोटे भूखंडों के आवंटन और उच्च कीमत के भुगतान को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी और याचिकाकर्ताओं ने नए ड्रॉ को स्वीकार कर लिया और बिना किसी पूर्वाग्रह के अतिरिक्त राशि का भुगतान किया। रिट याचिका में अधिकार. इसलिए, उस आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रोक का कोई नियम नहीं उठाया जा सकता है।

(15) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम आंशिक रूप से इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और याचिकाकर्ताओं को छोटे भूखंडों के आवंटन को बरकरार रखते हुए निर्देश देते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन उनसे केवल 15 रुपये प्रति की दर से कीमत वसूलने का हकदार होगा। वर्ग गज और उनके द्वारा अब तक जो भी भुगतान किया गया है उसे इस दर पर गणना की जाने वाली कीमत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। विभाजित सफलता को देखते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा.

भोपिंदर सिंह ढिल्लों, जे.-में सहमत हूं।

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादी निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भासा में समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यावयन के उद्देश्य के लिए उपुक्त रहेगा।

पूनम कुमारी